

प्रारूप-छ (सतलक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णतः (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/83591/MTH/MATHURA/2203/CFO

दिनांक : 24-05-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **BRAJ DHAM VIDHYA MANDIR** पता -, **MAUJA NAVADA TECHMAN CITY, INFRONT OF KANHA RESIDENCY PHASE 1 MATHURA** तहसील - **MATHURA** प्लॉट एरिया **6181.56 sq.mt** (वर्गमीटर) कुल कवर्ड एरिया **1393.80** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	11.43 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **BRAJ DHAM VIDHYA MANDIR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनआवीओ एवं तत्वश्रेणी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अभिज्ञान अधिकारी** द्वारा दिनांक **29-05-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ATUL KUNTAL** के साथ किया गया। भवन में अधिराधित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिराधित पायी गयी। अतः प्रक्षम भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनआरसी की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **31-05-2024** से **30-05-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **BRAJ DHAM VIDHYA MANDIR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगी। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्तर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **BRAJ DHAM VIDHYA MANDIR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इसके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : In view of the recommendation reports of fso. The NOC is being issued यह प्रमाण पत्र प्रमाणित है कृपया भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है। कृपया उपकरणों का रखरखाव तथा documentation करना आवश्यक होगा। शासनादेश सं०-18/ई-90-8-2022/(95/34)2016 डी०सीओ गू० (पुलिस) अनुभाग-8 लखतऊ दिनांक-07-1-2022 के अनुपालन में संवेदक की अनिवार्यता एवं तत्वधार उपकरणों के सम्बन्ध में निर्गत धनराशि तथा प्राधिकृत द्वारा प्रसारित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि(बिल्डिंग बायलाव) के अनुसार लिया जायेगा।



निर्गत किये जाने का दिनांक : 31-05-2024

स्थान : MATHURA

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

NARENDRA PRATAP SINGH

DD6CB06B03E6F9A6D467DA98CC4D7C67FC311E26

31-05-2024

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.